

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन)
अधिनियम, 2008

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 है.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) अधिनियम के अनुसूची में सरल क्रमांक 2 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	कलिंगा विश्व-विद्यालय	भगवान श्री बाला साईं एजुकेशनल एंड चैरीटेबल सोसायटी, रायपुर.	फर्म्स एवं सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक-2561 छ. ग. राज्य दिनांक 08-01-04.	ग्राम कोटनी, पलौद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर.	छत्तीसगढ़ राज्य	मैनेजमेंट कम्प्यूटर साईंस इनफारमेशन टेक्नालॉजी, बायो टेक्ना-लाजी, बायो इंफार्मेटिक्स, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक, स्नात-कोत्तर एवं अनुसंधान पाठ्यक्रम.
4.	आई.सी.एफ. ए.आई. विश्वविद्यालय	दि आई.सी.एफ. ए.आई. सोसायटी रायपुर.	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधि-नियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) पंजीयन क्रमांक-छ.रा./203 दिनांक 25 जुलाई, 2002.	ग्राम चोरहा, आर.आई. सर्किल, अहिवारा, तह. धमधा जिला-दुर्ग (छ.ग.)	छत्तीसगढ़ राज्य	व्यवसाय प्रबंधन, व्य-वसाय, वाणिज्य, सूचना प्रौद्यो-गिकी, कला, ह्यूमनटीज, विधि, शिक्षा, विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक 2260/डी-73/21-अ/प्रा./छ. ग./11.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 06 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 6 of 2011)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND
OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2008

An Act to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Ninth year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|----|-----|--|---------------------------------------|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2006. | Short title, extent and Commencement. |
| | (2) | It extends to the whole State of Chhattisgarh. | |
| | (3) | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | | In schedule of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) Act after serial No. (2) the following serial and the entries related thereto, shall be added. | Amendment of Schedule. |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Kalinga University	Bhagwan Bala Sai Educational and Charitable Society, Raipur.	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. CG State 2561 dated 8-1-2004.	Gram Kotni, Palod, Teh.- Arang District- Raipur (C.G.)	Chhattisgarh State.	Management Computer Science, Information Technology, Bio Technology, Bio Informatics, UG and PG in Arts, Science and Commerce faculties.